



झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
अवर प्रादेशिक नियोजनालय, राँची।

पत्रांक :- मु0प्रो0यो0 / 2021-

दिनांक :-

सेवा में,

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,
राँची, झारखण्ड।

विषय :- “मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना” से संबंधित विज्ञापन जिला के वेब पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि का “मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना” संबंधी सूचना एवं विहित प्रपत्र (Annexure-I) जिला के वेब पोर्टल पर अपलोड करने की कृपा की जाए।

अनु0 :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(एन0के0 मिश्र)

सहायक निदेशक (नि0)

अवर प्रादेशिक नियोजनालय, राँची।

ज्ञापांक :- 326

दिनांक :- 24/6/21

प्रतिलिपि :- 01. सहायक निदेशक(नि0)-सह-प्रभारी पदाधिकारी, IT-PMU, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सादर प्रेषित।

02. सचिव के आप्त सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से आग्रह है कि वेबसाईट <http://niyojanprashikshan.nic.in> पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

03. निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


सहायक निदेशक (नि0)

अवर प्रादेशिक नियोजनालय, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम,नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
अवर प्रादेशिक नियोजनालय, राँची।
मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना
सूचना

योजना का नाम वित्तीय वर्ष 2020-21	योग्यता	पात्रता	आवेदन की प्रक्रिया	प्रोत्साहन राशि
“मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना”	राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण सरकारी आईटीआई, सरकारी पॉलीटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो National Qualification Framework (NSQF) से Aligned हो।	<ul style="list-style-type: none"> आवेदक बेरोजगार होना चाहिए (अर्थात आवेदक न तो सार्वजनिक/निजी क्षेत्र से जुड़े हो और न ही स्वरोजगार से जुड़े हो)। आवेदक झारखण्ड के नियोजनालय में निबंधित होना चाहिए। योजना हेतु चिन्हित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इस योजना का लाभ हेतु किसी प्रकार का दोहरीकरण न हो। झारखण्ड राज्य के निवासी/अधिवास (domicile) हो। स्वयं का वैध बैंक खाता/आधार कार्ड हो। वह किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त न हो, जिसकी वजह से 48 घंटे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो। नियोजनालय में निबंधन की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए (अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उस-सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी)। 	आवेदक ने जिस विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त किया है उस विभाग/संस्थान में विहित प्रपत्र (सभीअनुलग्नकों सहित) पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र जमा करेंगे।	उपयुक्त अर्हताधारी आवेदक के लिए 5000/- प्रति एक वर्ष के लिए (विधवा/परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांगों के लिए राशि 50% अतिरिक्त होगी)।

योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार विशेष जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट <https://rojgar.jharkhand.gov.in/http://niyojanprashikshan.nic.in> या <https://ranchi.nic.in> पर और विशेष जानकारी अवर प्रादेशिक नियोजनालय, राँची के सूचना पट्ट पर भी देखी जा सकती है।


 सहायक निदेशक(नि०)
 नियोजन एवं प्रशिक्षण,
 झारखण्ड, राँची।

Annexure-I

“मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना” के तहत सहायता राशि प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र
(विहित प्रपत्र)

आवेदक/आवेदिका का नाम :-
पिता/पति का नाम :-
माता का नाम :-
जन्म तिथि :-
(नोट- नियोजनालय में निबंधन की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष) (अनुरूपित जाति एवं जनजाति को उक्त सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।)
लिंग (पुरुष/ महिला) :-
कोटि :-
विशेष कोटि (विधवा/परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांग) :- हाँ/नहीं (यदि हाँ साक्ष्य संलग्न करें)
नियोजनालय का नाम/निबंधन सं० एवं निबंधन की तिथि :-
स्थायी पता (पिन कोड सहित) :-
वर्तमान पता (पिन कोड सहित) :-

स्वअभिप्रमाणित फोटो
(तिथि सहित)

निवास/अधिवास (domicile) (यदि हाँ तो सक्षम स्तर पर निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न) :- हाँ/नहीं
मोबाईल सं० :-
आधार सं० :-
आधार लिंक बैंक खाता सं० :-
बैंक का नाम :-
IFSC Code :-
शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न) :-

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/वि०वि० का नाम	उत्तीर्ण वर्ष एवं माह	प्राप्तांक	प्रतिशत	विषय

तकनीकी योग्यता :- राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आई०टी०आई०, सरकारी पॉलीटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो National Skill Qualification Framework (NSQF) aligned हो, से उत्तीर्ण एवं सरकार के द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित होना चाहिए (प्रमाण पत्र संलग्न) :-

शपथ पत्र

01. झारखण्ड राज्य के निवासी/अधिवास (domicile) हूँ।
02. किसी रोजगार/स्वरोजगार से नहीं जुड़ा हूँ।
03. किसी न्यायालय से किसी अपराध में सजा प्राप्त नहीं किया हूँ।

मैं,.....प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी शतप्रतिशत सही है। यदि गलत पाया गया तो मेरे उपर न्यायसंगत कार्रवाई की जाएगी।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर